अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2015

का.आ. 455(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 03.10.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2302(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट भक्तिवेदान्त अस्पताल सृष्टि काम्प्लेक्स, भक्तिवेदान्त स्वामी मार्ग, मीरा रोड (पू.), जिला थाने -401107 महाराष्ट्र" द्वारा "भक्तिवेदान्त अस्पताल-सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं" की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 3865.36 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 7 पर अधिसूचित किया था ; और जिसे बाद में दिनांक 31.07.2014 की अधिसूचना सं0 सां0 आ01976 (अ0) के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि परियोजना को (i) जल संरक्षण, कार्बनिक खेती, वैकल्पिक ऊर्जा, मृदा बायोप्रौद्योगिकी आदि जैसी ग्रामीण सशक्तिकरण गतिविधियों सहित जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में आईआरडीपी जैसे सरकार के विकास कार्यक्रमों के पूरक के लिए थाणे जिला और आस-पास के क्षेत्रों में गांव गोद लेने के दौरान सुदूर क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सृजन और स्थापना द्वारा हृदय की देखभाल, मूत्र-विज्ञान सहित सकारात्मक/निवारक संवर्धन करने, इस प्रकार इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुधार करना है (ii) ट्रस्ट की विभिन्न समुदायिक पहलों के लिए निर्माण, अवसंरचना, उपस्कर आदि की पूंजीगत लागत सहित 2000 लाख रुपए के पूंजी व्यय" के रूप में कार्य का कार्यक्षेत्र बढ़ाने के रूप में संशोधित किए जाने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना को संशोधित करने के लिए (i) जल संरक्षण, कार्बनिक खेती, वैकल्पिक ऊर्जा, मृदा बायोप्रौद्योगिकी आदि जैसी ग्रामीण सशक्तिकरण गतिविधियों सहित जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में आईआरडीपी जैसे सरकार के विकास कार्यक्रमों के पूरक के लिए थाणे जिला और आस-पास के क्षेत्रों में गांव गोद लेने के दौरान सुदूर क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सृजन और स्थापना द्वारा हृदय की देखभाल, मूत्र-विज्ञान सहित सकारात्मक/निवारक संवर्धन करने, इस प्रकार इसका उद्देश्य स्थालनीय लोगों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुधार करना है (ii) ट्रस्ट की विभिन्न समुदायिक पहलों के लिए निर्माण, अवसंरचना, उपस्कर आदि की पूंजीगत लागत सहित 2000 लाख रुपए के पूंजी व्यय" के रूप में कार्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने की सिफारिश करती है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट भक्तिवेदान्त अस्पताल सृष्टि काम्प्लेक्स, भक्तिवेदान्त स्वामी मार्ग, मीरा रोड (पू.) जिला थाने-401107 महाराष्ट्र" द्वारा चलाई जा रही (i) जल संरक्षण, कार्बनिक खेती, वैकल्पिक ऊर्जा, मृदा बायोप्रौद्योगिकी आदि जैसी ग्रामीण सशक्तिकरण गतिविधियों सहित जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में आईआरडीपी जैसे सरकार के विकास कार्यक्रमों के पूरक के लिए थाणे जिला और आस-पास के क्षेत्रों में गांव गोद लेने के दौरान सुदूर क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सृजन और स्थापना द्वारा हृदय की देखभाल, मूत्र-विज्ञान सहित सकारात्मक/निवारक संवर्धन करने, इस प्रकार इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुधार करना है (ii) ट्रस्ट की विभिन्न समुदायिक पहलों के लिए निर्माण, अवसंरचना, उपस्कर आदि की पूंजीगत लागत सहित 2000 लाख

रुपए के पूंजी व्यय" के रूप में कार्य का कार्यक्षेत्र बढ़ाकर "भक्तिवेदान्त अस्पताल – सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं" की स्कीम या परियोजना को 3865.36 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में बिना परिवर्तन के संशोधित और अधिसूचित करती है।

[सं. 85/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-एसओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)